न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/3779/2006/दौसा

1– श्री रामनाथ पुत्र श्री नारायण,
2– श्री रामलाल पुत्र श्री नारायण दोनों जाति रैगर, निवासीगण लालसोट मौहल्ला रैगरान, लालसोट जिला दौसा।

------ अपीलांट्स

बनाम

1– रामधन (मृतक) जरिये वारिसानः–
1/1. श्रीमती नाथी पत्नी स्व0 रामधन,
1/2. मोता पुत्री श्री स्व0 रामधन।
2– राजेन्द्र पुत्र श्री हरिशंकर,
3– धर्मेन्द्र पुत्र श्री हरिशंकर,
4– नरेन्द्र पुत्र श्री हरिशंकर,
5– मोला पुत्र श्री हरिशंकर,
6– प्रभूलाल पुत्र श्री टेका सभी जाति रैगर, निवासीगण लालसोट मौहल्ला, लालसोट, जिला दौसा।
7– राजस्थान सरकार।

-------- रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री ओ0एल0दवे एवं श्री गौरव दवे, अभिभाषक अपीलांट्स।
(2) श्री समीर अहमद, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 6

निर्णय दिनांक :– 15.05.2024

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 224, के अन्तर्गत विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा की अपील संख्या 68/1999 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01–04–2005 बउनवानी रामनाथ बनाम रामधन के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, लालसोट के समक्ष एक वाद उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 17 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा ग्राम नगरियावास तहसील लालसोट के बाबत् प्रस्तुत कर मुख्य अनुतोष चाहा कि वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि की उद्घोषणा कराने व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में आवश्यक तनकियात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 08–10–1999 से वादीगण को विवादित भूमि का 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया जिस निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर अपीलार्थीगण रामनाथ वगैरह की ओर से विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 01–04–2005 से अपील अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत् रखा गया। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 01–04–2005 से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– अपील पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विरूद्ध न्याय, नियम व रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादीगण ने अपने समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की फिर भी विद्वान परीक्षण न्यायालय ने केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद डिक्री कर दिया। प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य विवाद यह था कि क्या विवादित आराजी हेमा पुत्र नारायण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है किन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय ने इस संबंध में तनकी सं0 1 को बिना किसी

दस्तावेजी साक्ष्य के मात्र इस आधार पर सिद्ध माना कि हेमा के पिता का नाम गंगाराम है जबकि हेमा के पिता का नाम गंगाराम भी गलत है जबतकि वास्तव में विवादित आराजी अपीलांट के पिता नारायण पुत्र श्री हेमा की खातेदारी की आराजी है किन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय ने मात्र मौखिक कथनों के आधार पर उक्त तनकी को गलत व गैर कानूनी रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णित की है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने तनकी सं0 3 व 4 को भी वादीगण के पक्ष में निर्णित करते समय न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया है क्योंकि वादी रेस्पो0 जब तक विवादित आराजी को हेमा पुत्र गंगाराम की खातेदारी की भूमि सिद्ध नहीं कर देते तब तक उन्हें कोई वाद कारण पैदा नहीं हो सकता है तथा ना ही उनका वाद डिक्री किये जाने योग्य था। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उक्त भूमि को बिना किसी ठोस आधारों के पैतृक मान लिया जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई आधार मौजूद ही नहीं था जिससे यह माना जा सके कि उक्त भूमि पैतृक हो। विवादित आराजी सम्वत् 2004 में नारायण के नाम आवंटित की गयी थी। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण का आधे–आधे हिस्से पर कब्जा होना माना है जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य वादी द्वारा पेश नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–04–2005 एवं विद्वान सहायक कलक्टर, लालसोट के निर्णय व डिक्री दिनांक 08–10–1999 को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया। साथ ही दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसमें अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें।

5– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादीगण का वाद सही डिक्री किया है तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपीलांट की अपील सही खारिज की है। अपीलांट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है तथा मियाद के बिन्दु के संबंध में कोई संतोषप्रद कारण भी अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये हैं। दोनों अधीनस्थ

न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु व गुणावगुण पर खारिज की जावें।

6– सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु का निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में उचित एवं संतोषप्रद कारण अंकित किये जाने के कारण अपीलांट का मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

8– विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, लालसोट द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08–10–1999 में अंकित किया है कि वादीगण को विवादित भूमि का 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी वादी के कब्जे काश्त की 1/2 भूमि में कोई किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें न ही किसी दीगर से करावें।

9– विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01–04–2005 में अंकित किया है कि अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री यथावत् रखें जाते हैं।

10– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने पेश किये गये सजरे अनुसार विवादित भूमि के दर्ज खातेदार हेमा के पिता का नाम गंगाराम है ना कि नारायण। नारायण तो हेमा का पुत्र है। यह बात प्रतिवादी भी मानता है। अतः यह तनकी बहकवादी ने सिद्ध की है। वादी के अनुसार हेमा पुत्र गंगाराम के दो पुत्र है, टेका व नारायण। टेका के तीन पुत्र रामधन, परसा, प्रभू है एवं नारायण के दो पुत्र रामनाथ व रामलाल है। इस पारिवारिक सजरे को प्रतिवादी भी स्वीकार करता है। जहां तक विवादित भूमि में वादी का आधा हिस्सा होने एवं उस पर काबिज होने का सवाल है। उसने स्वयं के पक्ष में बयान कराये है। एक पक्षकार प्रभूलाल पुत्र टेकाराम एवं रामनाथ

पुत्र नारायण ने बयान दिये हैं। इसके अतिरिक्त केवल बुद्धाराम पुत्र हीरालाल निवासी लालसोट ही ऐसा व्यक्ति है जो दावे में पक्षकार नहीं है तथा उसके बयान है। उसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी का विवादित भूमि पर 1/2–1/2 हिस्सा बनता है और वे पूर्व से ही इसी अनुसार काश्त करते आ रहे है। इस भूमि के आवंटन होने की न तो उसे कोई जानकारी थी और ना ही कोई दस्तावेज प्रतिवादी ने प्रस्तुत किये। अतः तनकी नं0 2 वादी के पक्ष में है। वादी के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा भूमि विक्रय करने की धमकी देने से विनाय दावा पेश हुयी। अतः नेसेसरी कॉज ऑफ एक्शन मौजूद है। बुद्धालाल पुत्र हीरालाल के बयान से साबित है कि भूमि वादग्रस्त पैतृक है जिसमें वादीगण एवं उनके बुर्जुगों का आधा हिस्सा रहा है। साथ ही व पूर्व से इस पर काबिज है। अतः वह स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। नारायण पुत्र हेमा को यह भूमि नियमित हुई है। इस बाबत् कोई दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध नहीं कराये ना ही कोई और सबूत स्वयं के पक्ष में पेश किया है जबकि वादी ने अपना सीधा संबंध वादग्रस्त भूमि का बयानों द्वारा सिद्ध किया है। अतः दस्तावेज व तनकीयात के आधार पर विवादित भूमि के खातेदार का इन्द्राज हेमा पुत्र नारायण गलत है, हेमा के पिता का नाम लिखने के बजाय रिकॉर्ड में उसके पुत्र का नाम दर्ज कर दिया गया। हेमा ही इसका वास्तविक खातेदार था। खातेदार के स्थान पर हेमा पुत्र गंगाराम का नाम होना चाहिए। अति0 जिला कलक्टर द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 25–06–1999 द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में तहसीलदार द्वारा किये गये नामान्तरकरण को खारिज किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विद्वान सहायक कलक्टर, लालसोट द्वारा वादीगण को विवादित भूमि का आधे हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया गया है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है कि वे वादग्रस्त आराजी वादी के कब्जे काश्त की 1/2 भूमि में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें, न ही किसी दीगर से करावें। जो पूर्णतया विधिसम्मत् है।

11– विद्वान अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा ने अपने निर्णय दिनांक 01–04–2005 में अंकित किया है कि विवादित भूमि पैतृक है वादी व

प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। विवादित भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण का आधे–आधे भाग पर कब्जा है। पूर्व में भूमि हेमा के नाम खातेदारी में दर्ज थी और वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता क्रमशः टेका व नारायण हेमा के पुत्र है। विवादित भूमि हेमा की मृत्यु के बाद टेका व नारायण की खातेदारी में आधी–आधी दर्ज होनी चाहिए। चूंकि टेका व नारायण की मृत्यु हो चुकी है। अतः विवादित भूमि के आधे भाग की खातेदारी नारायण के नाम तथा आधे भाग की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम होनी चाहिए। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का भी यही मन्तव्य है जिसे पूर्णतया सहमत है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाती है। अपील में कोई सार नहीं है। अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। परिणामतः अपील अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाते हैं।

12 विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया है जो उचित है।

13– दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किये जाने का विधिक आधार नहीं है।

14– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट की अपील अस्वीकार होने से खारिज की जाती है।

15– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) **(राजेश्वर सिंह)**

सदस्य **अध्यक्ष**